


## अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
प्रकाश पुत्र सांवताराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत सुनील बोडा पुत्र ओमप्रकाश बोडा जाति ब्राह्मण, निवासी वैशाली नगर, जयपुर कम्पनी पता नेहरू प्लेस नई दिल्ली वगैरा (04)


किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (212)

मुकदमा नम्बर 560/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.12.2025	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 19.12.25 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p> <p>पत्रावली पेशा वाकुलाग उपस्थित। प्रार्थी वकील डा.प. अस्थायी निषेधाज्ञा की अंतर्गत बहस हेतु निवेदन करने पर उक्तपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील डा.प. अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी विवादित आणी का रेकर्ड्स खोते धार लेने क्या ठोके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टा मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। वर्तमान में निप्रार्थी संबंधी अज्ञात केता द्वारा विनायन पूर्व ही प्रार्थी के कक्षा काश्त में इच्छादात्री पेश की जाकर कम्पनी की पाहलिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसे प्रार्थी की</p>	

19.12.25



  
सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजा

जजा  
हुकम  
में जारी

19.1.26

पत्रावली जेशा वाकुलाम उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते विप्राथमिक के जवाब हेतु  
दिनांक 22.01.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)

23.01.26

पत्रावली जेशा वाकुलाम उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते विप्राथमिक के जवाब हेतु दिनांक  
28.01.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)

28.01.26

पत्रावली पेश हुई।  
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।  
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व  
कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार  
दिनांक 30.01.26 को पेश हो।

30.01.26

पत्रावली जेशा वाकुलाम उपस्थित।  
चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित  
हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित  
हो जाने से उक्त आवेदन का कोई  
औपचारिक एवं तदर्थ प्रतीत नहीं होने से  
आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता  
है तथा साथ ही पूर्व से जारी अंतरिम  
आदेश विधेयाता को समाप्त किया जाता  
है।

पत्रावली जेशा वाकुलाम उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते विप्राथमिक के जवाब हेतु दिनांक  
28.01.26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
शिव (वाड़मेर)